

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिसंबर, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) द्वारा "सुशासन दिवस" (अर्थात 25.12.2017 को) के अवसर पर इलैक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ईएचआरएमएस) की शुरुआत की गई। ईएचआरएमएस की शुरुआत करने से, कर्मचारी न केवल सेवा पुस्तिका, छुट्टी, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), वेतन इत्यादि से संबंधित अपने सभी विवरण देख सकेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के दावों/प्रतिपूर्तियों, ऋण/अग्रिम, छुट्टी, छुट्टी के नकदीकरण, इत्यादि के लिए भी एक ही मंच पर आवेदन कर सकेंगे। माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) ने सिस्टम के 05 माइयूल्स के 25 अनुप्रयोगों की शुरुआत की। इस वर्ष मार्च के दौरान डीओपीटी के लिए शुरु की ई-सेवा पुस्तिका को भी ईएचआरएमएस में एकीकृत किया जाएगा।

2. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के 16 मामलों में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की पांच (05) नियुक्तियों का भी अनुमोदन किया। स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की दो (02) नियुक्तियों, समयपूर्व पूर्व प्रत्यावर्तन संबंधी दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव संबंधी पांच (05) नियुक्ति प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, कार्यकाल विस्तार के सात (07) प्रस्तावों, कार्यकाल कटौती संबंधी चार (04) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

3. दिसंबर, 2017 के दौरान लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), डीओपीटी) द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के तीन (03) पदों के लिए और निदेशक के आठ (08) पदों के लिए उम्मीदवारों की संस्तुति की गई।

4. दिनांक 04.12.2017 को सीएसओआई, नई दिल्ली में सीटीआई/राज्य एटीआई के प्रमुखों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई और ईएटी माइयूल्स का प्रयोग करने के लिए पीएफएमएस पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षणविधि, प्रणाली, प्रौद्योगिकी और उत्तम प्रथाओं में समेकन और संप्रेषण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए संबंधित पणधारियों के विचार प्राप्त करना था।

5. इस विभाग के दिनांक 29.12.2017 के का.जा.सं. 13020/1/2017-स्था.(अवकाश) द्वारा सरकारी कर्मचारी द्वारा रक्तदान करने का वैध सबूत प्रस्तुत करने पर उसे वर्ष में अधिकतम 4 बार तक एक कार्यदिवस (केवल उस दिन के लिए) पर लाइसेंसशुदा ब्लड बैंकों पर रक्तदान करने और आद्यवर्णलोप दान (रक्त घटकों जैसेकि लाल सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स इत्यादि) करने के प्रयोजन से विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए।